थाना दातागंज पुलिस द्वारा गुमशुदा अमित के शव की बरामदगी कर 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

श्री आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बदायूँ के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी दातागंज, जनपद बदायूँ के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत उच्चस्तर की सुरागरसी, पतारसी व मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना दातागंज जिला बदायूँ पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 25.03.2024 को अमित कुमार उर्फ सुमित कुमार S/0 रामसिंह निवासी उगनपुर थाना दातागंज बदायूँ की हत्या कर देने के संबंध मे थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 142/24 धारा 302/201 भादवि मे वांछित अभियुक्त 1. मुकेश पुत्र लालूराम तथा 2. अभियुक्ता रिंकी पत्नी मुकेश निवासी ग्राम वृंदावन थाना बिनावर जिला बदायूँ को आज दिनांक 01.04.2024 को सबलपुर नबदिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- मृतक अमित उर्फ सुमित उपरोक्त अभियुक्त उमेश की पत्नी रिंकी उपरोक्त से मोबाइल पर बाते करता था जिससे परेशान होकर अभि0गण द्वारा मृतक अमित उर्फ सुमित उपरोक्त की हत्या कर देना व शव को मोटरसाईकिल से ले जाकर अपनी पत्नी की साड़ी से लपेटकर प्लास्टिक के कट्टे मे डालकर ग्राम मूढा पुख्ता के पास रामगंगा नदी में पानी में फेंक दिया था।

पूछताछ का विवरण- दौराने पूछताछ मुकेश उपरोक्त ने बताया कि मेरी पत्नी का नाम रिंकी है। तथा मेरे ससुर का नाम राजपाल पुत्र हजारी है। मेरी ससुराल ग्राम नवदिया सबलपुर थाना दातागंज जनपद बदायूं में है। मेरे साले तोताराम पुत्र राजपाल के साले का नाम अमित उर्फ सुमित कुमार पुत्र रामसिंह है जो ग्राम उगनपुर थाना दातागंज का निवासी है। अमित कुमार उर्फ सुमित कुमार मेरी पत्नी को फोन करके उसको लगातार परेशान करता था तथा उल्टी सीधी बातें करता था और शादी करने को कहता था मेरे पत्नी के मना करने के बावजूद भी परेशान करता था व मुझे भी फोन पर धमकी देता था जिसके कारण मैं व मेरी पत्नी रिंकी काफी तनाव में रहते थे जिसके चलते हमने होली पर इस घटना को अंजाम देने की योजना बनायी और योजना मे अपने ससुर राजपाल को भी शामिल कर लिया। मेरी पत्नी होली के त्यौहार पर ग्राम नवदिया आ गयी थी। और

मेरी पत्नी ने फोन करके रात्रि मे अमित कुमार उर्फ सुमित कुमार को मिलने के लिये सबलपुर नवदिया तिराहे पर बुलाया तो अमित उर्फ सुमित वहां आ गया था आते ही मैने अमित का हाथ पकड़ा तथा हम लोग उसे प्राथमिक विद्यालय नवदिया सबलपुर के पीछे ले गये जहां मैने अमित कुमार को जमीन पर गिरा दिया। मेरे ससुर राजपाल व मेरी पत्नी रिंकी ने अमित को पकड़कर दबोच लिया फिर मेरे ससुर ने एक लोहे की रॉड अमित के सिर पर मारी और मैने अमित कुमार उर्फ सुमित कुमार का गला दबा दिया जिससे वह थोडी देर में मर गया तथा मैंने अमित कुमार उर्फ सुमित कुमार के शव को अपने ससुर राजपाल की मदद से अपनी मोटरसाईकिल हीरो स्पलैंडर प्लस रजि0 नं0 UP24BB3933 पर रखकर अपनी पत्नी की साड़ी से लपेटकर प्लास्टिक के कट्टे मे डालकर ग्राम मूढा पुख्ता के पास रामगंगा नदी में पानी में फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मुकेश पुत्र लालूराम निवासी ग्राम वृंदावन थाना बिनावर जिला बदायूँ,

2. रिंकी पत्नी मुकेश निवासी ग्राम वृंदावन थाना बिनावर जिला बदायूँ।

बरामदगी का विवरण- मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस रजि0 नं0 UP24BB3933

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक-

सबलपुर नवदिया चौराहे पर , दि0- 01.04.2024

अपराध करने का तरीका- अभि0गण द्वारा रात्रि में फोन करके बुलाना तथा लोहे की रॉड से मृतक अमित के सिर पर वार करना व उसके बाद गला घोट कर हत्या कर रामगंगा मे फेंक देना।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 142/24 धारा 302/201/34 भादवि।

सोशल मीडिया सेल, बदायूं।